उत्तर प्रदेश शासन

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2

सं0-4068 /62-2-2017-2/4(11)/2017

लखनऊ: दिनांक: 30 जून,2017

कार्यालय ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री ए0के0 श्रीवास्तव, अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई वृत्त, बरेली को स्थानान्तरित करते हुए उन्हें लघु सिंचाई वृत्त लखनऊ में उनके निजी अनुरोध पर तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- श्री ए0के0 श्रीवास्तव, अधीक्षण अभियंता को निर्देशित किया जाता है कि वे नवीन तैनाती के स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर लें। शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-633/62-2-2017-2/4(42)/2016, दिनांक 03.03.2017 द्वारा श्री ए0के0 श्रीवास्तव, अधीक्षण अभियंता को अधीक्षण अभियंता/निदेशक, लघु सिंचाई एवं जल प्रयोग प्रशिक्षण संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ का दिया गया प्रभार यथावत बना रहेगा।

मोनिका एस. गर्ग,

प्रमुख सचिव।

सं0-4068(1)/62-2-2017,तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0 प्र0 इलाहाबाद।

2- मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

3- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/कोषाधिकारी।

4- संबंधित अधीक्षण अभियंता,लघु सिंचाई वृत्त।

5- संबंधित अधीक्षण अभियंता द्वारा मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजय शुक्ला)

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उत्तर प्रदेश शासन
लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2
सं0-5131/62-2-2017-2/4(11)/2017
लखनऊ: दिनांक: 30 जून,2017

कार्यालय ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री डी0एन0 शुक्ला, अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई वृत्त, मेरठ को अत्यन्त नितांत अस्थाई एवं कामचलाऊ व्यवस्था के अन्तर्गत, अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई वृत्त, बरेली के पद का कार्यभार, अतिरिक्त रूप से प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- इस हेतु श्री डी0एन0 शुक्ला, अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई वृत्त, मेरठ को किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त वेतन भत्ता व अन्य वित्तीय लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

उक्त व्यवस्था शासन के अग्रिम आदेशों अथवा नियमित तैनाती होने पर स्वत: समाप्त हो जायेगी।

मोनिका एस. गर्ग,
प्रमुख सचिव।

सं0-5131(1)/62-2-2015 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2- मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उ0 प्र0 लखनऊ।
3- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/कोषाधिकारी, उ0 प्र0 ।
4- संबंधित अधीक्षण/अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई वृत्त/खण्ड।
5- संबंधित अधिकारी द्वारा मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(संजय शुक्ला)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in